पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.11.2026

यातायात माह -2026

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर शुरू हुआ यातायात माह नवम्बर-2026, पुलिस आयुक्त लखनऊ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारम्भ।

- **श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ किया गया।**
- **सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता एवं प्रभावी प्रवर्तन पर रहेगा विशेष जोर।**

आज दिनांक 01.11.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ में **यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ श्री तरुण गाबा, पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), श्री अर्पित विजयवर्गीय, पुलिस उपायुक्त (मध्य/यातायात), श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) एवं श्री राजेश कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त (लाइन्स), श्री प्रभात पाण्डेय, (संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ) सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।**

कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स- अंशु दीक्षित, एहतशाम सिद्दीकी, नफीस अहमद सहित अन्य प्रतिभागियों द्वारा यातायात जागरूकता अभियान में सहभागिता कर आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जनसामान्य को जागरूक करते हुए बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉकहोम घोषणा-2020 के अनुरूप वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यातायात माह के दौरान विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन सुनिश्चित करने हेतु आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं निर्बाध यातायात संचालन के लिए सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा के पांच प्रमुख स्तम्भों 5E (Five E's) के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—

1. **Education (शिक्षा)** – आमजन, छात्र-छात्राओं एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
2. **Enforcement (प्रवर्तन)** – यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन एवं वैधानिक कार्यवाही करना।
3. **Engineering (अभियांत्रिकी)** – सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार तथा दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक सुधार कराना।
4. **Emergency Care (आपातकालीन देखभाल)** – सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने एवं आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करना।
5. **Environment (पर्यावरण)** – सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था के साथ स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवेश को बढ़ावा देना।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार यातायात माह नवम्बर-2026 के दौरान कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित कर इसके अंतर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, हल्के एवं भारी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देने तथा प्रमुख चौराहों, हाईवे एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि सड़क पर स्वयं की एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें—

- **हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें** – दोपहिया वाहन चलाते समय मानक हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।
- **ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें** – रेड लाइट का उल्लंघन न करें तथा यातायात संकेतों एवं चिह्नों का पालन करें।
- **निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं** – तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने से बचें।
- **नशे की हालत में वाहन न चलाएं** – शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकता है।
- **वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें** – वाहन चलाते समय अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें।
- **सुरक्षित दूरी बनाए रखें** – आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी रखें तथा अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें।
- **वाहनों की उचित पार्किंग करें** – निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें तथा आकस्मिक स्थिति में वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर आवश्यक संकेतक एवं पार्किंग लाइट का प्रयोग करें।
- **आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें** – एम्बुलेंस, फायर सर्विस एवं अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को तत्काल रास्ता उपलब्ध कराएं।
- **अपने वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की 400 बाइक सवारों की जागरूकता रैली पुलिस लाइन्स लखनऊ से 1090 तक निकाली गयी

गोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स से लगभग 400 बाइक सवारों की यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। **लखनऊ पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा आयोजित यह रैली रिजर्व पुलिस लाइन्स से 1090 चौराहे तक निकाली गई। सभी प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया।**

रैली के माध्यम से आमजन से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, ओवरस्पीडिंग, स्टंटबाजी, नशे में वाहन चलाने, मोबाइल फोन के प्रयोग एवं गलत दिशा में वाहन चलाने से बचने की अपील की गई। साथ ही नाबालिगों को वाहन न चलाने देने तथा एम्बुलेंस एवं फायर सर्विस को रास्ता देने के प्रति जागरूक किया गया।

अंत में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं एवं अपने परिवार सहित सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए करें। आपका एक छोटा सा सावधानीपूर्ण कदम किसी की अमूल्य जिंदगी बचा सकता है।

सुरक्षित चलें – सुरक्षित रहें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 01.11.2026

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरूण गाबा महोदय के निर्देशानुसार रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में लापरवाही/गैरहाजिरी बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

- **रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में लापरवाही/गैरहाजिरी बरतने वाले 05 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई।**
- **पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशानुसार 05 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर/थाना संबद्ध किया गया।**
- **संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के निर्देश।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री तरूण गाबा महोदय द्वारा **शासन की मंशा के अनरूप** कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, महिला सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम के दृष्टिगत **रात्रि गश्त को प्रभावी एवं नियमित रूप से संचालित करने तथा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।**

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही पाये जाने पर गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के आदेश पारित किया गया था।

जिसके क्रम में **पुलिस उपायुक्त पूर्वी, दक्षिणी एवं मध्य** द्वारा रात्रि गश्त एवं ड्यूटी को आकस्मिक चेकिंग की गयी तो डयूटी में निम्न अधिकारी व कर्मचारीगण की रात्रि गश्त में **शिथिलता / गैरहाजिरी** पाए जाने पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है—

- **पूर्वी जोन-**

रात्रि गश्त एवं ड्यूटी के प्रति शिथिलता के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा निम्नलिखित चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से उनके **वर्तमान दायित्वों से हटाकर थानों से सम्बद्ध किया गया**—

1. **म0उ0नि0 अर्चना**, चौकी प्रभारी अरावली, थाना गाजीपुर।
2. **उ0नि0 शशिकांत**, चौकी प्रभारी कमता, थाना चिनहट।

- **दक्षिणी जोन-**

रात्रि गश्त ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर पाए जाने पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा **थाना सरोजनीनगर में नियुक्त** निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से **लाइन हाजिर किया गया**—

1. **उ0नि0 आशीष कुमार**
2. **आरक्षी सतेंद्र यादव**

- **मध्य जोन-**

रात्रि गश्त ड्यूटी से गैरहाजिर पाए जाने पर पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से **लाइन हाजिर किया गया**—

1. **उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार**, चौकी प्रभारी निशातगंज, थाना महानगर।

पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि गश्त एवं ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात्रि गश्त की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जाएगी तथा ड्यूटी के प्रति उदासीनता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1977
दिनांक-01.11.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- **सर्विलांस टीम (प0) एवं थाना सआदतगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला नौबस्ता, ब्राह्मणी टोला में हुये हत्याकांड में वांछित 25 हजार की ईनामिया 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 26.10.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्याकांड की घटना (मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS) में पूर्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.11.2026 को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घटना से संबंधित वांछित अभियुक्ता दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी ब्राह्मणी टोला नौबस्ता थाना सआदतगंज लखनऊ वर्तमान पता-कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ को कूडा चौराहा आईआईएम रोड थाना क्षेत्र दुबग्गा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्तगण के घर के सामने बरगद के पेड के चारो तरफ चबूतरा बनाने व खाली पड़े जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा वाहन खड़े करने/पार्किंग को लेकर विवाद था। जिसको लेकर दिनांक 26.10.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्र के नौबस्ता ब्राहम्णी टोला मोहल्ले में अभियुक्तगण 1. राजेश शुक्ला उर्फ तुन्नू बाबू पुत्र डी0के0 शुक्ला 2. ऋषभ शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला उर्फ छुन्ना 3. गिरीश शुक्ला 4. दिनेश शुक्ला पुत्र डी0के0 शुक्ला 5. मुन्ना बाबू 6. दिव्या 7. प्रिया 8. अदिति पुत्रीगण श्री दिनेश कुमार द्वारा वादिनी के पति शिवेन्द्र तिवारी उर्फ शम्भू व जेठ शिवा जी तिवारी एवं भतीजा सुयश तिवारी को घेरकर एक राय होकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडो व पत्थर से मारना पीटना एवं गोली मारकर हत्या की घटना कारित की गई थी । इस संबंध में थाना सआदतगंज पर मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार थाना स्थानीय से पुलिस टीमों का गठन किया गया था। **उक्त गठित टीम द्वारा पूर्व में दिनांक 26.10.2026, 27.10.2026 व 31.10.26 को कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ।** अभियोग उपरोक्त में शेष 01 अभियुक्ता वांछित थी ।

आज दिनांक 01.11.2026 को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर घटना में नामजद/वांछित चल रही अभियुक्ता दिव्या शुक्ला उपरोक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ उम्र-करीब 32 वर्ष

04-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

1. **अभियुक्ता दिव्या शुक्ला:** कूडा चौराहा आईआईएम रोड थाना क्षेत्र दुबग्गा — दिनांक 01.11.2026, समय करीब 08.05 बजे।

05-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 256/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

06- आपराधिक इतिहास –

1. दिव्या शुक्ला पत्नी जितेन्द्र तिवारी पुत्री गिरीश शुक्ला निवासी कैलाश स्टेट बरावन कला रोड नियर यूनिटी डिग्री कालेज दुबग्गा लखनऊ उम्र-करीब 32 वर्ष।

क्र0सं	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	256/26	191(2)/191(3)/190/103(1) BNS	सआदतगंज

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सोनकर, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0उ0नि0 गौरव कुमारी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० पुष्पेन्द्र मौर्या, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ०नि० रजत कटियार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. उ0नि0 अंकित कुमार, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. उ0नि0 मो0 अहमद, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
7. हे0का0 मो0 अर्शी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
8. हे0का0 शमीम अख्तर, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
9. हे0का0 वीर सिंह, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
10. हे0का0 प्रदीप कुमार तिवारी, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
11. का0 अरुण कुमार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
12. का0 आशीष कुमार कुशवाहा, सर्विलांस पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट लखनऊ।
13. म0का0 सोनी देवी, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
14. म0का0 लक्ष्मी वर्मा, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1974
दिनांक-01.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाले 01 शातिर चोर / अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुन गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाला चोर/अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.10.2026 को वादी दमन दीप सिंह पुत्र सरब जीत सिंह द्वारा लिखित तहरीर में बताया गया कि दिनांक 26.10.2026 को मेरी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी (प्रिंस) द्वारा दुकान मे रखी नकदी को निकाल कर ले गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 542/2026 धारा 306 बीएनएस थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत कराया गया।

इसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीमे गठित की गयी। पुलिस टीमों द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त प्रिंस ने बताया कि साहब, दुकान के गल्ले में रखे हुए रुपये देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने रुपये चोरी करने की योजना बना ली। दिनांक 26.06.2026 को सुबह के समय मैं दुकान में घुसा और गल्ले में रखे करीब 1,50,000/- रुपये चोरी कर वहां से भाग गया। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रिन्स गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी 594क/38 नीलमथा थाना कैन्ट जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 542/2026 धारा 306 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।

06-बरामदगी:-

- 34210 रुपये।
- एक अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल (जामा तलाशी)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1975
दिनांक-01.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहां

- **थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा लापता 10 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-31.10.2026 को रात्रि करीब 22.00 बजे ग्राम उतरांवा निवासिनी द्वारा एक किता प्रा0पत्र बाबत प्रार्थिनी का पुत्र उम्र 10 वर्ष घर से कही चले जाने तथा वापस न आने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। जिसके आधार पर थाना निगोहां पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

मामले की गंभीरता और बालक की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में थाना निगोहां पर तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घर के आस-पास तथा रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तथा अन्य स्थानों पर बालक की फोटो आदि दिखाकर तलाश किया गया। काफी खोजबीन के बाद, वादिनी का पुत्र बछरांवा जनपद रायबरेली से सकुशल बरामद किया गया।

बालक के माता पिता और ग्रामीणों ने निगोहाँ पुलिस की कार्यकुशलता और तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री हर्ष वर्मा
2. उ0नि0 चन्दन कुमार यादव
3. का0 मुनेन्द्र कुमार
4. म0का0 बॉबी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1976
दिनांक-01.11.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी के सफेद-पीली धातु के आभूषण एवं ₹2,500/-नकद व 01 अदद मो0सा0 बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री समीश सिंह पुत्र श्री पूर्णमासी सिंह निवासी सी-71, कल्याणपुर रिंग रोड, संजीवनी गैस्ट्रो-न्यूरो क्लिनिक, फैमिली बाजार-3 के सामने, थाना गुडम्बा, लखनऊ द्वारा दिनांक 31.10.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 417/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। वादी के अनुसार दिनांक 30.10.2026 को समय करीब 01:52 बजे अज्ञात व्यक्ति मकान के मेन गेट के ऊपर से घर में प्रवेश कर कमरे में रखे सोने-चाँदी एवं हीरे के आभूषण चोरी कर ले गया था।

दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 अंकुर मिश्रा मय हमराही पुलिस बल क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित माल-मुल्जिमान की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त की चोरी से सम्बन्धित व्यक्ति अपने साथी के साथ गुरुनानक लॉन, सेक्टर-जे, जानकीपुरम की ओर आने वाली सड़क पर सफेद अपाचे मो0सा0 के पास चोरी का माल बेचने की फिराक में मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं जामा तलाशी में अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद के कब्जे से पीली धातु की चैन 01 अदद, नथिया 01 अदद, सफेद धातु की पायल 01 जोड़ी, बिछिया 01 जोड़ी, पीली धातु की अंगूठी 01 अदद, कान का टप्स 01 अदद तथा ₹500/- नकद बरामद हुए। अभियुक्त सुमैल हसनैन के कब्जे से पीली धातु की बड़ी झुमकी 01 जोड़ी तथा ₹2,000/- नकद बरामद हुए। इस प्रकार कुल ₹2,500/- नकद एवं आभूषण बरामद हुए।

बरामद आभूषणों की वादी मुकदमा समीश सिंह द्वारा मौके पर शिनाख्त की गयी तथा उन्हें अपने घर से चोरी हुआ माल बताया गया। बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त सुमैल हसनैन की संलिप्तता के आधार पर धारा 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों को दिनांक 31.10.2026 को 23:50 बजे सेक्टर-जे जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया।

02- पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के आभूषण बरामद हुए। अभियुक्त शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद ने बताया कि चोरी किये गये आभूषणों का कुछ हिस्सा अपने साथी सुमैल हसनैन के साथ बांटकर राह चलते व्यक्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्त सुमैल हसनैन ने बताया कि शाहिद द्वारा चोरी किया हुआ कुछ माल उसे बेचने के लिए दिया गया था तथा दोनों मिलकर उसे राह चलते लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि चोरी का कुछ अन्य सामान अज्ञात राहगीरों को बेच दिया गया था तथा उससे प्राप्त धनराशि खर्च कर दी गयी।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 417/2026 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

आपराधिक इतिहास शाहिद खान

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना / जनपद
1	945/23	379/411 IPC	कोतवाली बाराबंकी
2	1043/23	380 IPC	कोतवाली बाराबंकी
3	1140/23	379/411 IPC	कोतवाली बाराबंकी
4	845/24	305(e)/62 BNS	कोतवाली बाराबंकी
5	965/24	305(e)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
6	992/24	305/331(4)/62 BNS	कोतवाली बाराबंकी
7	105/25	305(a)/317(2)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
8	558/25	305(a)/317(2)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी
9	745/25	305(a)/317(2)/317(4)/331(4) BNS	कोतवाली बाराबंकी

आपराधिक इतिहास सुमैल हसनैन

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना / जनपद
1	232/13	380/411/457 IPC	तालकटोरा लखनऊ
2	233/13	380/411 IPC	तालकटोरा लखनऊ
3	167/17	380/411/457 IPC	ठाकुरगंज लखऊ
4	462/18	380/411/457 IPC	मोहनलालगंज लखनऊ
5	239/18	380/411/457 IPC	निगोहा लखनऊ
6	592/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
7	593/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
8	594/18	380/457 IPC	आशियाना लखनऊ
9	867/18	380/411/413/457 IPC	चिनहट लखनऊ
10	943/18	395/412 IPC	पी जी आई लखनऊ
11	946/18	3/5 A Act	पी जी आई लखनऊ
12	236/19	2/3 Gangster Act	पी जी आई लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद पुत्र स्व0 फिरोज खान निवासी नियर कर्बला के पास बेगमगंज, थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सुमैल हसनैन पुत्र हसीम नवाब निवासी कटरा मोहम्मद शिवाला, थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष।

05-बरामदगी-

- चैन पीली धातु 01 अदद, नथिया जिसमें सफेद व लाल रंग के नग जड़ित 01 अदद, पायल सफेद धातु 01 जोड़ी, बिछिया सफेद धातु 01 जोड़ी, अगूंठी पीली धातु 01 अदद, बड़ी झुमकी पीली धातु 01 जोड़ी, कान का टप्स पीली धातु 01
- नकद धनराशि रू 2,500/-
- 01 अदद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP32JL0630 को वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र
2.उ0नि0 श्री राहुल द्विवेदी
3.उ0नि0 श्री अंकुर मिश्रा
4.उ0नि0 श्री शिवशंकर
5.हे0का0 राजन त्रिपाठी
6.का0 गोविन्द पाल
7.का0 रघुवीर यादव
8.का0 रवेन्द्र पाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1973
दिनांक- 01.11.2026

क्राइम ब्रांच-आपरेशन डिजीटल कवच

डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले अवैध SIM Box पर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई—06 SIM Box बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री तरुण गाबा, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के मार्गदर्शन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अनिल यादव के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) सुश्री शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित SIM Box के संबंध में प्राप्त तकनीकी सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

उपलब्ध तकनीकी सूचना के आधार पर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की CDR एवं अन्य तकनीकी तथ्यों का गहन विश्लेषण किया गया। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों से प्राप्त जानकारी का तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण करते हुए उक्त मोबाइल नंबर से जुड़े विभिन्न हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शनों एवं संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध स्थानों की पहचान कर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 31.10.2026 को साइबर थाना एवं साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीमों द्वारा समन्वित कार्रवाई करते हुए लखनऊ के निम्नलिखित चार संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया –

- स्वाति अपार्टमेंट, थाना सुशांत गोल्फ सिटी
- आशीर्वाद बिल्डिंग, आदर्श विहार, थाना पारा
- गोल्ड लाइन अपार्टमेंट, थाना बीबीडी
- जीजे पैराडाइज, आदर्श नगर, थाना चिनहट

02-बरामदगी का विवरण

क्र.सं.	बरामद सामग्री	संख्या
1	अवैध 32-पोर्ट SIM Box	06
2	VPN Gateway	03
3	Smart Switch	21
4	Smart Hub	03
5	इनवर्टर/UPS	04
6	बैटरियां	18
7	Wi-Fi/नेटवर्क राउटर, कैमरे एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	विभिन्न
8	लॉक टैबलेट	01
9	सिम स्लाट	192

बरामद सभी डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है, जिससे इनके वास्तविक उपयोग, संबंधित SIM कार्डों, कॉलिंग पैटर्न एवं इस नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।

इस संबंध में साइबर थाना, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विवेचना एवं तकनीकी जांच जारी है।

"बरामद 06 अवैध 32-पोर्ट SIM Box ऐसे उपकरण हैं जिनमें एक साथ कई SIM कार्ड लगाए जा सकते हैं और जिनका दुरुपयोग इंटरनेट आधारित कॉलिंग को विभिन्न मोबाइल SIM के माध्यम से संचालित करने में किया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते हैं और कॉल के माध्यम से लगातार दबाव बनाते हैं। इस प्रकार की अवैध कॉलिंग व्यवस्था में SIM Box का उपयोग बड़ी संख्या में कॉल संचालित करने तथा कॉल के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जा सकता है। लखनऊ पुलिस साइबर अपराध के विरुद्ध सतर्क एवं प्रतिबद्ध है।" – श्रीमती किरन यादव, I.P.S., नोडल ऑफिसर साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।